14, नन्दपुरी कॉलोनी, निकट आर्यनगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार 249407 (उत्तराखण्ड)

राम कुमार अग्रवाल
वरिष्ठ नागरिक
मो0 : 9319040869

दिनांक : 15-9-2017

पत्रांक : 14/शासन/2017

सेवा में,

श्री घनश्याम मीना
अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई.)
भारत सरकार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राम कुमार अग्रवाल से प्राप्त आवेदन।

संदर्भ– आपके कार्यालय की प.सं. फ.स.आई.–1–34014/194/2017– आर.टी.आई. दिनांक 05/09/2017

महोदय,

आपका 5/9/2017 का पत्र मुझे 12–9–2017 को प्राप्त हुआ। आपके उपरोक्त पत्र के अनुपालन में I.P.O. No. 33F 872845 रु. 10/- संलग्न है। मेरे पूर्व पत्र सं. 12/शासन/2017 दिनांक 24/08/2017 की प्रति पुनः संलग्न करते हुए निवेदन है कि वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

14, नन्दपुरी कॉलोनी, निकट आर्यनगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार 249407 (उत्तराखण्ड)

राम कुमार अग्रवाल
वरिष्ठ नागरिक

मो0 : 9319040869

प.सं. 12/2017/शासन
दिनांक : 24-8-2017

पत्रांक सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्रालय
नई दिल्ली।

विषयः एन0एच0 – 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच सी0बी0आई0 से कराने के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार 2005 के अर्न्तत सूचना उपलब्ध करानां।

सन्दर्भ– मेरी प0सं0 01/2017/शासन दिनांक 27/05/2017 ।

महोदय,

कृपया मेरे संदर्भित पत्र का संदर्भ लेने का कष्ट करें। एन.एच.– 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच C.B.I. से कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा सिफारिश की गई थी। माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्री, नई दिल्ली द्वारा C.B.I. जांच न कराकर, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हतोत्साहित किया गया था। इस सम्बन्ध में उपरोक्त पत्र द्वारा माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्री से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया था परन्तु आज तक उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। अमर उजाला दिनांक 19/08/2017 (फोटोकॉपी संलग्न) का कहना है एन.एच. घोटाले की जांच ठंडे बस्ते में गई।

निवेदन है कि घोटाले की जांच के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड प्रदेश, देहरादून की सिफारिश के अनुसार N.H. 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच C.B.I. द्वारा कराई जायेगी या नहीं?
2. यदि कराई जानी है तो कब तक शुरू होगी ?
3. अमर उजाला दिनांक 19/08/2017 के अंक में छपा है कि **"माना जा रहा है कि घोटाले की जद में आ रहे अफसरों और नेताओं के दबाव के चलते मामला ठंडे बस्तें मे चला गया है।"** इसमे कितनी सच्चाई है।

सूचना के लिए आवश्यक शुल्क रु0 10/– I.P.O. No. 33F 872844 के रूप में संलग्न है।

संलग्नक– तीन

राम कुमार
(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

14, नन्दपुरी कॉलोनी, निकट आर्यनगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार 249407 (उत्तराखण्ड)

राम कुमार अग्रवाल
वरिष्ठ नागरिक

मो0 : 9319040869

प.सं. 12/2017/शासन
दिनांक : 24-8-2017

पत्रांक सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्रालय
नई दिल्ली।

12440/RTI
30-08-2017

विषयः एन0एच0 – 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच सी0बी0आई0 से कराने के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार 2005 के अर्न्तत सूचना उपलब्ध करानां।

सन्दर्भ– मेरी प0सं0 01/2017/शासन दिनांक 27/05/2017 ।

महोदय,

कृपया मेरे संदर्भित पत्र का संदर्भ लेने का कष्ट करें। एन.एच.– 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच C.B.I. से कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा सिफारिश की गई थी। माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्री, नई दिल्ली द्वारा C.B.I. जांच न कराकर, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हतोत्साहित किया गया था। इस सम्बन्ध में उपरोक्त पत्र द्वारा माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्री से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया था परन्तु आज तक उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। अमर उजाला दिनांक 19/08/2017 (फोटोकॉपी संलग्न) का कहना है एन.एच. घोटाले की जांच ठंडे बस्ते में गई।

निवेदन है कि घोटाले की जांच के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

189

1. माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड प्रदेश, देहरादून की सिफारिश के अनुसार N.H. 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच C.B.I. द्वारा कराई जायेगी या नहीं?
2. यदि कराई जानी है तो कब तक शुरू होगी ?
3. अमर उजाला दिनांक 19/08/2017 के अंक में छपा है कि **"माना जा रहा है कि घोटाले की जद में आ रहे अफसरों और नेताओं के दबाव के चलते मामला ठंडे बस्तें में चला गया है।"** इसमे कितनी सच्चाई है।

सूचना के लिए आवश्यक शुल्क रु0 10/– I.P.O. No. 33F 872844 के रूप में संलग्न है।

IPO attached

संलग्नक– तीन

(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

---2

प0सं0 12/2017/शासन

दिनांक २५/08/2017

प्रतिलिपि श्री नरेन्द्र दास मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार 7, रेसकोर्स, नई दिल्ली को प0सं0 01/2017/शासन दिनांक 27/05/2017 के तारतम्य में प्रेषित। उक्त पत्र द्वारा जानना चाहा था कि क्या माननीय गडकरी जी का पत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम है। इस सम्बन्ध में आपके कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। प्रतीत होता है कि मामले की C.B.I. जांच न कराने में आपकी मौन स्वीकृति है। क्या इसी प्रकार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ा जा सकेगा?

सादर

(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

प0सं0 12/2017/शासन

दिनांक २५/08/2017

प्रतिलिपि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, श्री अमित शाह जी, 11 अशोक मार्ग, नई दिल्ली को प0सं0 01/2017/शासन दिनांक 27/05/2017 के तारतम्य में प्रेषित। उक्त पत्र द्वारा जानना चाहा था कि इस मामले में पार्टी के क्या दिशा-निर्देश हैं। क्या घोटालों पर पर्दा डालकर 350 + का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। कृपया अपने विचारों से अवगत कराने का कष्ट करें।

सादर।

(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

प0सं0 12/2017/शासन

दिनांक २५/08/2017

प्रतिलिपि श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून को प0सं0 01/2017/शासन दिनांक 27/05/2017 के तारतम्य में प्रेषित। आपके द्वारा NH - 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच CBI से कराने की सिफारिश की गई थी। जिस पर माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी द्वारा आपको पत्र लिखकर कहा गया था कि "इस प्रकार के फैसलों से सरकारी अधिकारियों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। सरकार के

---3

इस फैसले से पैदा हुए माहौल में उत्तराखण्ड में और अधिक परियोजनाओं को लाने के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा।"

कृपया माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री के उपरोक्त पत्र की एक छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सादर।

(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

प0सं0 12/2017/शासन **दिनांक 24/08/2017**

प्रतिलिपि श्री वैभव डांगे, निजी सचिव, सड़क परिवहन राजमार्ग एवं पोत परिवहन मन्त्री, भारत सरकार (Room No. 503, Transport Bhawan, 1, Sansad Marg, New Delhi - 110001) को उनके D.O. 1236499/MIN/RT & H / VIP / 2017 Dated 06/06/2017 के संदर्भ में प्रेषित। आपका 6 जून, 2017 का पत्र दिनांक 11/07/2017 को एक माह से भी ज्यादा समय में प्राप्त हुआ। दिल्ली से हरिद्वार तक आने में पत्र को 35 दिन का समय लग गया इसी से सड़क परिवहन के निर्माण कार्यों की गति का पता चलता है। आपके उक्त पत्र से ज्ञात हुआ कि मेरा 27/05/2017 का पत्र संयुक्त सचिव (भूमि अधिग्रहण) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय को भेज दिया गया है। परन्तु इससे यह पता नहीं चलता कि CBI जांच होगी या नहीं। संयुक्त सचिव से अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कृपया प्रकरण को पुनः संज्ञान में लेने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

अमर उजाला - देहरादून
दिनांक 19-8-2017
Page-6

एनएच का घोटाला संसद में उठाने की मांग

अमर उजाला 19-8-2017

हरिद्वार (ब्यूरो)। महानगर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संदीप गौड़ ने भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र भेजकर उत्तराखंड के कुमाऊं में एनएच-74 में करोड़ों के घोटाले को संसद में उठाने की मांग की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि भाजपा सरकार इस में लीपापोती कर कुछ लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

Page-13

Page 13

ठंडे बस्ते में गई एनएच घोटाले की जांच

देहरादून (ब्यूरो)। एनएच-74 घोटाले की जांच को सीबीआई की मंजूरी मिलने संबंधी मुख्यमंत्री की घोषणा को दो माह का वक्त बीतने के बाद भी गृह विभाग को अब तक सीबीआई की ओर से जांच स्वीकार किए जाने का स्वीकृति पत्र नहीं मिला है। ऐसे में माना जा रहा है कि घोटाले की जद में आ रहे अफसरों और नेताओं के दबाव के चलते मामला ठंडे बस्ते में डाल गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 14 जून को विधानसभा सत्र के दौरान दावा किया था कि एनएच-74 घोटाले की जांच सीबीआई ही करेगी। विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों को लेकर दिए गए बयान के इस दावे को दो माह से ज्यादा वक्त बीत चुका है। इससे दो महीने पूर्व नई सरकार ने आते ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करते हुए घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति की थी। इसके बाद दो बार रिमाइंडर भी भेजा गया था।

अमर उजाला 19-8-17

14, नन्दपुरी कॉलोनी, निकट आर्यनगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार 249407 (उत्तराखण्ड)

राम कुमार अग्रवाल
वरिष्ठ नागरिक
मो0 : 9319040869

पत्रांक :   दिनांक : ....

प.सं. 01/2017/शासन   दिनांक: 27–05–2017

सेवा में,

माननीय केन्द्रीय सडक परिवहन मन्त्री
श्री नितिन गडकरी जी
नई दिल्ली।

विषयः उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एन.एच–74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच सी.बी.आई. से कराने की सिफारिश।

मान्यवर,

उत्तराखण्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने एन. एच.– 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच सी.बी.आई. से कराने की सिफारिश की थी। सी. बी.आई. द्वारा जांच शुरु न करने पर दो रिमाइंडर भी भेजे गए।

दिनांक 23 मई 2017 के 'अमर उजाला' समाचार पत्र से पता चला कि आपने मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को पत्र लिखकर इस मामले में दर्ज FIR & CBI जांच के फैसले पर चिंता जताई है। आपका कहना है कि **"इस प्रकार के फैसलों से सरकारी अधिकारियों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है"** इतना ही नहीं आपने चेतावनी भी दे डाली **"सरकार के इस फैसले से पैदा हुए माहौल में उत्तराखण्ड में और अधिक परियोजनाओ को लाने के बारे में पुनर्विचार करना पडेगा।"** आपका यह तर्क, वितर्क है।

आपका इस प्रकार का पत्र राज्य सरकार को लिखना बहुत ही निराशजनक और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। स्पष्ट है कि आप नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और बेईमान कर्मचारियों / अधिकारियों को दंडित किया जावे। आपके पत्र से बेईमान लोगों के हौसले बुलन्द होंगे, अब अन्य राज्य सरकारें भी CBI जांच की बात नहीं करेगीं। फलस्वरूप भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुनी उन्नति करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की Zero Tolerance of Curruption की बात भी बेमानी हो जायेगी।

राजा को विवेकशील, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल होना ही चाहिए।

आपके पत्र से प्रतीत होता है कि कुमाऊँ क्षेत्र के दो प्रमुख भाजपा नेतओं की घोटाले में संलिप्तता (अमर उजाला 23–05–2017 के अनुसार) होने और उन्हें बचाने की चेष्टा है। आप चाहते हैं खाओ खिलाओ और मजा करो।

क्रमशः 2 पर.

दिनांक 10-7-2017 को पी.डी. [illegible] अधिकारी सड़क परिवहन मंत्रालय से 4.40 पर वार्ता की

7 राज्य • 1 केंद्रशासित प्रदेश • 19 संस्करण : उत्तर प्रदेश । उत्तराखंड । हिमाचल । जम्मू-कश्मीर । दिल्ली । हरियाणा

अमर उजा

एवरेस्ट पर लापता हुए मुरादाबाद के पर्वतारोही की मौत...1

अमर उजाला 23-5-2017

केंद्र ही नहीं चाहता एनएच घोटाले की सीबीआई जांच

ये कैसा जीरो टॉलरेंस?

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सीएम त्रिवेंद्र को पत्र लिखकर कहा-ऐसी कार्रवाई से टूटता है अफसरों का मनोबल

संजय त्रिपाठी

देहरादून।

सरकार बनते ही त्रिवेंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार पर जिस जीरो टॉलरेंस का हवाला देते हुए एनएच-74 घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, उस पर खुद केंद्र सरकार को आपत्ति है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर इस मामले में दर्ज एफआईआर और सीबीआई जांच के फैसले पर चिंता जताई है। गडकरी ने लिखा है कि इस प्रकार के फैसलों से सरकारी अधिकारियों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। साथ ही योजनाओं के निर्बाध संचालन में भी बाधा उत्पन्न होती है।

अमर उजाला को खबर मिली है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय उत्तराखंड में सड़कों के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। इसमें भी खासतौर पर चारधाम रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है। गडकरी के मुताबिक वे हाल ही प्रदेश में एनएच घोटाले में मुआवजा वितरण में हुई धांधली को लेकर बीते दिनों न केवल ऊधमसिंह नगर में दर्ज की गई एफआईआर बल्कि मामले की सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार के >> शेष पेज 10 पर

300 करोड़ रुपये के इस घोटाले में कृषि भूमि को अकृषि बनाकर लुटाई गई सरकारी धनराशि

एनएच-74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच सीबीआई को

प्रदेश सरकार ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश।

यह भी कहा

मामले में पुनर्विचार करके, इसे सुलझाने का प्रयास करें

मामले में एफआईआर और सीबीआई जांच के फैसले पर चिंता जताई

यह है एनएच-74 घोटाला

पश्चिमी यूपी से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-74 के चौड़ीकरण कार्य में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की कवायद की गई थी। करीब चार वर्ष तक चले इस अधिग्रहण में कुछ शिकायतों के बाद जांच हुई तो पता चला कि ज्यादातर कृषि भूमि को बैकडेट में अकृषि दिखाकर मुआवजे की राशि को कई गुना बढ़ा दिया गया। कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर जांच की गई तो संबंधित तहसीलों में तीन सौ करोड़ से ज्यादा का घपला प्रारंभिक जांच में ही पकड़ा जा चुका। कमेटी ने विस्तृत जांच की सिफारिश भी की। इस मामले में कई अधिकारियों को निलंबित भी किया जा चुका है।

किसी आरोपी को नहीं बख्शेंगे : कौशिक

सीबीआई को दो रिमाइंडर भेजे हैं। जल्द ही रिमाइंडर भेजने की तैयारी हो रही है। केंद्र से किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। केंद्रीय मंत्री के पत्र की मुझे कोई जानकारी नहीं है। सरकार के स्तर पर कोई हीलाहवाली नहीं है और राज्य की सिफारिश है तो केंद्र को क्या आपत्ति होगी? घपले के किसी आरोपी को नहीं बख्शेंगे। उम्मीद है जल्द ही मामला टेकओवर हो जाएगा।

– मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता

कुछ ऐसा रहा घोटाले से जुड़ा घटनाक्रम

1 मार्च 2017	कमिश्नर कुमाऊं डी. सेंथिल पांडियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया 118 करोड़ के घोटाले का खुलासा।
9 मार्च 2017	कमिश्नर की अध्यक्षता में लोनिवि, राजस्व, पुलिस और विजिलेंस के इंजीनियर की कमेटी की टीम बनी।
11 मार्च 2017	सीएम के आदेश पर कमिश्नर की जिलाधिकारी रिपोर्ट पर ने अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
15 मार्च 2017	घोटाले के आरोपी और तत्कालीन क्षेत्र के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह को पद से हटाया गया।
16 मार्च 2017	कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मुख्य सचिव से मुलाकात करके उन्हें अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी।
18 मार्च 2017	घोटाले से जुड़ी अहम फाइलें सितारगंज, काशीपुर, जसपुर और बाजपुर तहसीलों से गायब कर दी गईं।
20 मार्च 2017	कमिश्नर ने एसएलएओ ऑफिस से सभी फाइलों को आवास कैंप कार्यालय के स्थान में सुरक्षित करवाई।
22 मार्च 2017	तत्कालीन अपर जिलाधिकारी के निर्देशन में जांच के लिए विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) का गठन हुआ।
25 मार्च 2017	छह पीसीएस अफसरों को निलंबित कर दिया गया और प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति की गई।

कुमाऊं क्षेत्र के दो प्रमुख भाजपा नेताओं की घोटाले में संलिप्तता की चर्चा भी खुले तौर पर सामने आने की बात कही जा रही है।

"जब जब होइ धरम कै हानी।
बाढहिं असुर अधम अभिमानी।।"

इस पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य ही अवगत कराने का कष्ट करेंगे मैं ऐसी आशा करता हूँ। समाचार पत्र का कटिंग संलग्न है।

सादर।

संलग्नक– यथोक्त

(राम कुमार अग्रवाल)
भारतीय वरिष्ठ नागरिक

प0सं0 ०1/2017/शासन दिनांक: 27–05–2017

प्रतिलिपि श्री नरेन्द्र दास मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार 7, रेसकोर्स नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया विषयक प्रकरण को संज्ञान में लेने की कृपा करें। कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें कि क्या गडकरी जी का इस प्रकार का राज्य सरकार पर दबाव बनाना उचित है। आपने जनता के बीच में कई बार घोषणा की है कि न खाऊँगा न खाने दूंगा। मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिन उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है उसमें **देश की तरक्की, ईमानदारी पक्की शीर्षक में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े कदम उठाने की बात कही गई है।** क्या गडकरी जी का पत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम है। कृपया इस सम्बन्ध में अपने विचारों से अवगत कराने का कष्ट करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपकी मौन स्वीकृति है।

सादर।

(राम कुमार अग्रवाल)
भारतीय वरिष्ठ नागरिक

प0सं ०1/2017/शासन दिनांक: 27–05–2017

प्रतिलिपि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी श्री अमित शाह जी 11 अशोक मार्ग नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया वे भी प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए स्पष्ट करने का कष्ट करें कि इस सम्बन्ध में पार्टी के क्या दिशा–निर्देश हैं।

सादर।

(राम कुमार अग्रवाल)
भारतीय वरिष्ठ नागरिक

क्रमशः 3 पर...

प0सं ०। /2017/शास दिनांक: 27-05-2017

प्रतिलिपि श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार सचिवालय सुभाष रोड देहरादून को प्रेषित। आपके सामने इस समय बड़ी विकट स्थिति है। न्याय संगत कदम उठाने में आपको पहले ही दिल पर पत्थर रखना पड़ा था अर्थात् न चाहते हुए भी CBI जांच के लिए सिफारिश करनी पड़ी थी। अब गडकरी जी के पत्र ने आपके सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर दी है। अब इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए आपको श्री कृष्ण जैसे सारथी की आवश्यकता है।

"Make it rule of life never to regret and never to look back. Regret is an appalling waste of energy. You can't build on it, it's only for wallowing."

Mansfield

परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाने के लिए मनःस्थिति को मजबूत करना आवश्यक है। जो सफलता की कुंजी है। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा में।

सादर।

(राम कुमार अग्रवाल)
भारतीय वरिष्ठ नागरिक

प0सं ०। /2017/शासन दिनांक: 27-05-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित समचार पत्रों को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाले समाचार संजीदगी के साथ उजागर करने का प्रयास निरन्तर बना रहे।

1. अमर उजाला, हरिद्वार- देहरादून
2. दैनिक जागरण, हरिद्वार - देहरादून
3. हिन्दुस्तान, हरिद्वार - दिल्ली
4. राष्ट्रीय सहारा - हरिद्वार
5. नवभारत टाइम्स - दिल्ली
6. Hindustan Times - Delhi
7. Times of India - Delhi

(राम कुमार अग्रवाल)
भारतीय वरिष्ठ नागरिक

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
TRANSPORT BHAVAN, 1 PARLIAMENT STREET
NEW DELHI - 110001

Receipt No. 5261 Dated 20/9/17

Received RTI Application dated.....

from Sh. Smt. / Mr. Ram kumar.....

along with application fee of Rs. 10/- (Rupees Ten only) / Fee of Rs. ..... (Rupees ..... only) for providing information under RTI Act 2005 in Cash / Demand Draft / Cheque / IPO No. 33F 879845

Dated .....

Signature / Receipt Official (IFC)

फ.स.आई-I-34014/194/2017-आरटीआई

भारत सरकार

सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय

दिनाक- 05.09.2017

सेवा में,

श्री राम कुमार अग्रवाल
14 , नन्दपुरी कॉलोनी
निकट आर्यनगर चौक
ज्वाला हरिद्वार - 249407
(उत्तराखंड)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री राम कुमार अग्रवाल से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनाक 24.08.2017 जो की इस मंत्रालय मे दिनाक 29.08.2017 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सुचना मांगे जाने के संबध में है।

2. इस संबध में यह देखा गया है कि आपके दारा निर्धारित प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नही किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि **'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली,** को देय 10 रु0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल आर्डर इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाद ही की जा सकती है। 10 रु0 का IPO 33F 872844 इसके साथ वापस किया जा रहे है ।

भवदीय

घनश्याम मीना

घनश्याम मीना
अनुभाग अधिकारी(आर.टी.आई)

अपराम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लोक सूचना अधिकारी केन्द्रीय सड़क परि॰ मंत्रालय, नई दिल्ली को

इस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहाँ लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

NEW Delhi

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

33F 872844